

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संख्या-1/ए0-1-102/2015.....**647**

पटना, दिनांक.....**14.08.2026**

माननीय उच्च न्यायालय, पटना अंतर्गत दायर एम0जे0सी0 सं0-1401/2025 (स्नेही कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों एवं एम0जे0सी0 सं0-1763/2025 (सुधांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों में दिनांक-29.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-06, दिनांक-04.09.2025 के द्वारा विज्ञापन सं0-02/2017 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के कुल-02 (दो) उम्मीदवारों को विभागीय अधिसूचना सं0-653-सह-पठित ज्ञापांक-654, दिनांक-10.09.2025 द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतन लेवल-09 (वेतनमान-53100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया। नियुक्ति आदेश के आलोक में कुल-01 (एक) सहायक अभियंता (असैनिक) द्वारा विभाग में योगदान किया गया। शेष निम्नलिखित 01 (एक) सहायक अभियंता (असैनिक) के द्वारा विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया :-

क्र0 सं0	अनुक्रमांक/ मेधा क्रमांक	सहायक अभियंता (असैनिक) का नाम एवं पिता का नाम	स्थायी पता
1	2	3	4
1	201414/ 2200	श्रीमती कुमारी प्रतिभा, पिता-श्री नवीन कुमार	श्रीमती कुमारी प्रतिभा, पिता-श्री नवीन कुमार, आस्था सदन, गढ़पर, बिहार शरीफ, जिला-नालंदा, पिन-803101

2. विभागीय पत्रांक-715, दिनांक-04.10.2025 द्वारा नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) को दिनांक-06.10.2025 से 05.12.2025 तक निर्धारित प्रशिक्षण में दिनांक-05.10.2025 के अपराह्न में बिपार्ड, गया जी परिसर में योगदान देने का निदेश दिया गया।

3. श्रीमती कुमारी प्रतिभा के अभ्यावेदन दिनांक-14.10.2025 द्वारा सूचित किया गया कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से वर्तमान समय में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो पाई है एवं उनके द्वारा तीन महीने का विस्तार प्रदान करने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-764, दिनांक-11.11.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी प्रतिभा को उनके अभ्यावेदन के आलोक में योगदान हेतु अधिकतम एक माह का समय दिया गया। परंतु उनके द्वारा विभाग में योगदान नहीं किया गया है न ही कोई सूचना विभाग में समर्पित की गयी है। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-100, दिनांक-17.02.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी प्रतिभा को दिनांक-11.03.2026 तक विभाग में अपना योगदान देने का निदेश दिया गया। परंतु उनके द्वारा विभाग में योगदान नहीं किया गया है न ही कोई सूचना विभाग में समर्पित की गयी है।

5. तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-204, दिनांक-10.04.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी प्रतिभा को दिनांक-30.04.2026 तक विभाग में अपना योगदान देने का निदेश दिया गया। साथ ही दिनांक-14.04.2026 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया कि दिनांक-30.04.2026 तक विभाग में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। तदोपरांत भी श्रीमती कुमारी प्रतिभा द्वारा विभाग में न तो योगदान किया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तहत योगदान समर्पित करने हेतु बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद भी श्रीमती कुमारी प्रतिभा ने निर्धारित तिथि तक अपना योगदान समर्पित नहीं किया।

6. अतः सम्यक विचारोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना के उपरांत विभाग में योगदान नहीं करने वाले उक्त 01 (एक) नव नियुक्ति सहायक अभियंता (असैनिक) यथा-श्रीमती कुमारी प्रतिभा, अनुक्रमांक-201414 की नियुक्ति संबंधी दावा/अभ्यर्थित्व को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निरस्त/रद्द किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 648

पटना, दिनांक-14.08.2026

प्रतिलिपि-दो अतिरिक्त प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 648

पटना, दिनांक-14.08.2026

प्रतिलिपि- अवर सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रसारित।
अनु0-यथोपरि।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 648

पटना, दिनांक-14.08.2026

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 648

पटना, दिनांक-14.08.2026

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-06 लो0से0आ0/गो0, दिनांक-04.09.2025 के प्रसंग में/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-7825 (S), दिनांक-08.09.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 648

पटना, दिनांक-14.08.2026

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/अपर सचिव/निदेशक, प्रांजल/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी कंट्रोल रूम/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/विभागीय डाक पटल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/श्रीमती कुमारी प्रतिभा, पिता-श्री नवीन कुमार, आस्था सदन, गढ़पर, बिहार शरीफ, जिला-नालंदा, पिन-803101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 648

पटना, दिनांक- 14.08.2026

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

सह
14.8.26